न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—64 / 2022 (2022 / 235) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कन्हैयालाल पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—टमु पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—प्रेमी पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—पारसी पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—मेमा पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—लादुलाल पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—हीरूबाई पत्नि मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—हंजा पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—हीरा पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—गोपी पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—जमना पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—मांगु पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—राजी पत्नि रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—शंकरी पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—सायरी पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16—डाली पिता गोकल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17—देउ पिता गोकल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18—नारायण पिता गोकल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण संख्या 8, 9, 10 व 15 के भाई तथा अन्य वादीगण के बड़े पिताजी गिरधारी व भोला की साबिक खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 216 / 14 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा 215 / 2 रकबा 7 बिस्वा, आ.सं. 216 / 6क रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा आ.स 215 / 1 रकबा 8 बिस्वा 216 / 15 रकबा 13 बिस्वा अन्य आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रमाण में साबिक जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल वादपत्र के साथ पेश की हैं। वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमियों पर वक्त आवंटन से गिरधारी व भोला करीब 50 वर्षों से मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी लाऔलाद मृत्यु होने पर उक्त कृषि आराजियात पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपनी भूमि के चारो तरफ थोहर की बाड़ कर रखी है तथा वादीगण की भूमी पाल से लगती हुई थी उक्त भूमियो को साबिक नक्शे में कहीं पर तरमीम नहीं किया गया। वादीगण वादग्रस्त भूमियों पर वर्षों

से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परंतु तहसील रायपुर में भूप्रबंध होने पर ग्राम मासिंहपुरा में भी भुप्रबंध हुआ जिससे वादीगण की वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर 298, 299, 300, 302, 303, 304 357, 358, 359 कायम किए गए। भुप्रबंध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा वादीगण की नवीन आराजियात का रकबा तो जमाबंदी में सही दर्ज किया परंतु आ.सं. 303 रकबा 0.46 हेक्ट को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत नवीन नक्शे में गलत दर्ज कर दिया गया तथा वादीगण के कब्जेशुदा भूमी के स्थान पर बिलानाम आ.सं. 305 रकबा 0.65 हैक्ट भूमी को तरमीम कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं जिससे वादीगण की नवीन आ.सं. 303 रकबा 0.46 हैक्ट को आ.स. 304 की दक्षिणी पूर्वी सीमा से पूर्वी दिशा में पाल तक आ.सं. 305 में रकबा 0.46 है0, तरमीम करने तथा वादीगण की आराजी संख्या 303 के स्थान पर नवीन नक्शे में बिलानाम आराजी संख्या 305 का रकबा तरमीम करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा में स्थित वादीगण की नवीन आराजी संख्या 303 रकबा 0.46 है0 को नवीन नक्शे एवं राजस्व रेकार्ड में मोके की स्थिति अनुसार वादीगण की नवीन आराजी संख्या 305 रकबा 0.65 है0 मे आराजी संख्या 304 की दक्षिणी पूर्वी पाली से पूर्वी दिशा तक 0.46 है0 तरमीम करने तथा वादीगण की आराजी संख्या 303 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी संख्या 305 का रकबा दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती को घोषणात्मक डिकी जारी फरमाई जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में तहसीलदार रायपुर की ओर से प्रकरण में जवाब के रूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मासिंहपुरा के हाल आराजी संख्या 298, 300, 302, 304 किता 4 रकबा 2.99 है0 एवं आराजी संख्या 303, 357, 358, 359 किता 4 कुल रकबा 2.20 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.19 है0 जो मौके पर कोशीथल से आमेट जाने वाली सड़क पर स्थित होकर मौके पर थोर की बाड़ लगाकर सामलाती खाते में वादीगण काबिज होना पाया गया एवं आराजी संख्या 303 रकबा 0.46 है0 भूमि वादीगण के कब्जे में होना पाया गया एवं आराजी संख्या 305 रकबा 0.65 है0 किस्म गै.मु. मंगरी वादीगण की भूमि के उत्तर दिशा की ओर स्थित है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है जो मौके पर पड़त पड़ी होकर कोशीथल आमेट सड़क से लगी हुई है जिस पर वादीगण का कब्जा होना पाया गया एवं आराजी संख्या 306 रकबा 0.08 है0 किस्म गै.मु. मंगरी गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है किन्तु मौके पर नाडी की पाल बनी हुई है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 305 जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है, उक्त आराजी मे से धारा 251ए आर.टी.ए. के तहत् खसरा न. 356 के खातेदार द्वारा रास्ता माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया जिनका नामान्तकरण की कार्यवाही शेष है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादीगण के भाई एवं वादीगण के बड़े पिता गिरधारी व भोला के साबिक आराजी

संख्या 216/14 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 215/2 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 216/6क 9 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 215/1 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 216 /15 रकबा 13 बिस्वा भूमि वर्ष 1969 में आवंटन हुई है जिनका जरिये नामान्तकरण 167 व 160 के वादीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड हुई तभी से वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वादवर्णित भूमि एक ही चक के रूप में होकर वादीगण काबिज है। नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि वादीगण की भूमि कोशीथल से आमेट जाने वाली सड़क से लगती हुई होकर थोहर की बाड़ लगाकर वादीगण काबिज है। वादीगण का कथन है कि आराजी संख्या 305 रकबा 0.65 है0 बिलानाम कर दी गई और आराजी संख्या 303 को वादीगणो की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसको वादीगण दुरूस्त कराना चाहते है। आराजी संख्या 305 का रकबा 0.65 है0 जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम है और आराजी संख्या 303 रकबा 0.46 है0 भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज है जो वाद अनुसार बिलानाम दर्ज होनी चाहिये थी। चूंकि वाद में वादीगण की ओर से साबिक रकबे के मुकाबले नवीन रकबा कमी बेशी के सम्बन्ध में किसी तरह का तथ्य अंकित नही किया है इससे यह प्रमाणित होता है कि वादीगण का रकबा तो पुरा है किन्तु मौके अनुसार भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही है, जिसे दुरूस्त कराना चाहते है।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 305 रकबा 0.65 हैक्ट. मे से 0.46 है0 भूमि पश्चिम भाग की उत्तर से दक्षिण की ओर वादीगण के नाम दर्ज की जावे शेष रकबा 0.19 है0 भूमि पाल से लगती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर बदस्तुर जमाबन्दी रखी जावे और इसके बजाय वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 303 रकबा 0.46 है0 को बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–64/2022 (2022/235) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–कन्हैयालाल पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–टमु पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्रेमी पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–पारसी पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–मेमा पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–लादुलाल पिता मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–हीरूबाई पत्नि मोडा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–हंजा पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–हीरा पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–गोपी पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11–जमना पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12–मांगु पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13–राजी पत्नि रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14–शंकरी पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15–सायरी पिता घीसा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16–डाली पिता गोकल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17–देउ पिता गोकल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18–नारायण पिता गोकल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 305 रकबा 0.65 हैक्ट. मे से 0.46 है0 भूमि पश्चिम भाग की उत्तर से दक्षिण की ओर वादीगण के नाम दर्ज की जावे शेष रकबा 0.19 है0 भूमि पाल से लगती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर बदस्तुर जमाबन्दी रखी जावे और इसके बजाय वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 303 रकबा 0.46 है0 को बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 26.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23-06-2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा